



कार्यालय उप वन संरक्षक, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती

E-mail:dfonnagar-forest-uk@nic.in

Telefax- 0135-2442052

पत्रांक सं०: /

दिनांक /

11/2019

सेवा मे

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड
मुनिकीरेती।

विषय :- जनपद- जनपद टिहरी गढवाल के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर-कुमाल्डा मोटर मार्ग के किमी0 35 से घेना गांव तम मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.0825 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/23941/2017

सन्दर्भ :- भारत सरकार के पत्रांक-08बी/यू0सी0पी0/06/63/2019/एफ0सी0/1498 दिनांक 09-10-2019 के क्रम में।


महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से उल्लेखित कमियों का बिन्दुवार आख्या प्रस्तावक विभाग द्वारा उनके पत्रांक-1157/पी0-सिं0ख0-2/Forest दिनांक 08-11-2019 जो नोडल अधिकारी को सम्बोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है से इंगित कमियों के निराकरण के पश्चात सम्बन्धित प्रपत्रों की मूल प्रति नोडल कार्यालय को उपलब्ध कराते हयुे सम्बन्धित प्रपत्रों की छाया प्रति इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है जो निम्नवत् है।

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
1	State Government may submit the plantation scheme of 4000 trees in lieu of 04 Ha. Out of CA area is falling in MDF. Location and map of the area may also be submitted in original.	बिन्दु संख्या-01 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का दिनांक 21-10-2019 को पुनः प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग मसूरी द्वारा निरीक्षण करवाया गया जिससे ज्ञात हुआ है, कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 4.165 हे0 भूमि का हरियाली घनत्व 0.40 से कम है, तथा 1000 प्रति हे0 पौध रोपण हेतु सर्वथा उपयुक्त पाया गया है प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग द्वारा जारी क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र की छाया प्रति मय संलग्नको के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। (संलग्न छाया प्रति-01)
2	State Government may submit the original copy of the CA scheme of Rs. 11,60,640.00	बिन्दु संख्या-02 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रॉक्कलन की मूल प्रति प्रस्ताव के साथ पूर्व में ही प्रेषित कर दी गयी है जिसकी प्रति भाग-01 के एडिशनल कॉलम के क्रम संख्या-37 में भी अपलोड की गयी है। अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु मु0 11,58,962 का ही प्रॉक्कलन प्रस्तुत किया गया है।

<p>3 प्रस्ताव में यह पाया गया कि घेना की स्थिति एवं उपलब्ध रोड नेटवर्क को प्रस्तावित मार्ग की KML फाईल पर अंकित किया गया है। साथ ही प्रस्तावित मार्ग का End Point घने वन क्षेत्र में दर्शाया गया है, जो मान्य नहीं है। अतः राज्य सरकार इस सम्बन्ध में स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।</p>	<p>बिन्दु संख्या-03 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग की के0एम0एल0 फाईल भाग-01 के पैरा-C-(b) में अपलोड कर दी गयी है जिसकी सीडी नोडल कार्यालय को भी प्रेषित की गयी है।</p>
---	--

भवदीय




उप वन संरक्षक,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्या:- 1395 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि :-प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग मसूरी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-अधिसासी अभियन्ता,पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0-2 नई टिहरी को उनके पत्रांक संख्या-1157/पी0-सिं0ख0-2 दिनांक 08-11-2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।



उप वन संरक्षक,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।